भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 89

उत्तर देने की तारीख : 02.02.2023

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

89. श्री दिव्येन्दु अधिकारी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उद्यम/नई पंजीकृत फर्मों को आबंटित और संस्वीकृत धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) एमएसएमई उद्यम पंजीकृत संगठनों के लिए वर्तमान न्यूनतम और अधिकतम संपार्श्विक मुक्त बैंक क्रेडिट गारंटी धनराशि कितनी है और तत्संबंधी निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) इसके लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (सीजीटीएमएसई) को क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट से निधि प्रदान करने की प्रक्रियाओं और अनुपालना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्टार्टअप संगठनों को संपार्श्विक/तृतीय पक्ष गारंटी के बिना बैंक ऋण प्राप्त करने की शर्त और पात्रता क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (घ) : एमएसएमई मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि उपलब्ध कराता है। उद्यमों द्वारा उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र का उपयोग एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत किए जाने और एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। जिन योजनाओं में कोलेटरल मुक्त बैंक ऋण प्रदान किया जाता है, उनमें प्रमुख योजनाएं आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) और सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) हैं। ईसीएलजीएस योजना और एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) के लिए विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान जारी की गई राज्यवार गारंटियों का विवरण **अनुबंध I** में है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) नए स्टार्टअप उद्यम ऋणों सहित एमएसई ऋणों को कवर करने के लिए 200 करोड़ रुपए तक की व्यवस्था करता है, जिसे सदस्य ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा अपनी प्रक्रियाओं के अनुसार विस्तारित किया जाता है।

*****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 89 जिसका उत्तर 02.02.2023 को दिया जाना है, के संदर्भ में अनुबंध

(i) इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत जारी की गई गारंटियों की संख्या और राशि

ईजीएलजीएस के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़े						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वित्त वर्ष 2020-21**		**वित्त वर्ष 2021-2022**		**वित्त वर्ष (2022-2023) 31 दिसंबर, 2022 तक**	
	जारी गारंटियों की संख्या	**गारंटीकृत राशि (करोड़ रुपए में)**	**जारी गारंटियों की संख्या**	**गारंटीकृत राशि (करोड़ रुपए में)**	**जारी गारंटियों की संख्या**	**गारंटीकृत राशि (करोड़ रुपए में)**
अंडमान और निकोबार	1,978	96.01	123	44.55	24	13.11
आंध्र प्रदेश	2,53,111	8,659.26	37,711	3,560.14	3,033	833.77
अरुणाचल प्रदेश	2,228	7,1.32	159	57.94	44	5.77
असम	5,29,128	2,715.09	23,527	807.08	1,690	269.54
बिहार	6,44,959	3,784.61	1,84,637	1,194.56	1,687	186.42
चंडीगढ़	6,361	895.1	855	326.46	83	56.23
छत्तीसगढ़	1,40,311	41,03.2	60,879	1,727.35	908	302.39
दादरा और नगर हवेली	2,077	271.86	227	151.72	33	31.04
दमन और दीव	916	125.45	125	77.04	6	6.29
दिल्ली	90,794	14,635.92	15,266	7,258.35	1,154	2,004.98
गोवा	11,801	770.03	1,092	612.86	241	108.28
गुजरात	3,02,022	22,379.3	72,992	9,441.03	3,924	2,709.07
हरियाणा	1,56,677	10,976.94	49,268	4,542.64	2,301	1,113.55
हिमाचल प्रदेश	45,983	1,552.06	5,411	736.06	885	156.98
जम्मू और कश्मीर	66,719	1,952.33	1,815	434.06	465	58.84
झारखंड	2,40,920	2,625.82	62,180	1,318.14	1,518	174.73
कर्नाटक	4,68,973	15,934.82	4,12,405	6,649.7	13,860	1,331.62
केरल	4,01,744	7,799.9	1,38,081	3,331.45	3,202	851.38
लद्दाख	999	44.08	34	9.56	2	0.55
लक्षद्वीप	369	1.91	3	0.19	3	0.1
मध्य प्रदेश	3,95,932	7,657.52	1,76,278	3,045.67	2,184	545.74
महाराष्ट्र	8,85,638	37,433.73	1,34,338	17,499.28	10,380	4,611.1
मणिपुर	10,259	123.07	322	12.87	31	6.2
मेघालय	11,030	200.9	487	26.3	49	13.33
मिजोरम	3,722	54.88	146	9.3	28	0.34
नागालैंड	7,396	68.35	171	8.82	32	2.89
ओडिशा	8,80,435	4,615.92	58,979	1,596.59	7,178	531.91
पुदुचेरी	14,303	441.14	8,523	135.92	427	30.65
पंजाब	1,90,074	7,789.42	28,339	2,935.89	2,310	651.01
राजस्थान	3,05,790	12,152.73	2,49,571	4,852.85	2,542	849.38
सिक्किम	8,178	92.95	178	33.88	43	4.53
तमिलनाडु	6,53,638	25,451.31	2,46,453	11,100.31	12,523	3,132.34
तेलंगाना	1,31,772	10,216.96	15,032	3,949.65	1,234	1,088.69
त्रिपुरा	60,471	245.64	2,178	46.75	201	2.89
उत्तर प्रदेश	6,59,285	15,117.75	1,63,542	5,479.09	4,694	1,333.29
उत्तराखंड	66,139	2,091.18	8,494	1,054.71	603	198.42
पश्चिम बंगाल	18,89,440	13,850.95	1,40,603	5,308.9	5,830	944.81
कुल	**95,41,572**	**2,36,999.41**	**23,00,424**	**99,377.66**	**85,352**	**24,162.16**
स्रोत: राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी)						

(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) के तहत अनुमोदित गारंटियों की संख्या और राशि

सीजीटीएमएसई के लिए राज्य वार आंकड़े								
	वित्त वर्ष 19-20		वित्त वर्ष 20-21		वित्त वर्ष 21-22		वित्त वर्ष 22-23 (31 दिसंबर, 2022 तक)	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
अंडमान और निकोबार	264	29.45	329	24.65	374	35.12	389	31.85
आंध्र प्रदेश	50,562	1,556.78	1,63,610	1,559.99	49,848	1,455.81	1,90,268	2,439.72
अरुणाचल प्रदेश	415	46.95	464	54.98	628	82.10	725	105.69
असम	14,070	686.72	12,158	673.19	14,918	1,261.92	15,164	1,500.55
बिहार	24,531	1,303.32	22,317	1,086.40	24,217	1,661.23	30,613	2,428.50
चंडीगढ़	1,778	133.61	1,274	97.07	1,382	159.32	1,213	202.43
छत्तीसगढ़	14,022	705.70	12,970	551.96	9,670	775.50	12,538	1,118.68
दादरा और नगर हवेली	256	26.88	402	30.81	303	63.53	238	48.58
दमन और दीव	191	32.48	324	18.93	144	37.66	91	18.96
दिल्ली	24,917	2,182.94	12,757	1,557.20	15,810	2,768.64	15,620	3,375.06
गोवा	2,594	183.07	2,235	134.84	2,218	173.50	1,921	214.26
गुजरात	58,595	3,859.49	40,397	2,959.55	34,929	4,835.69	29,547	5,672.25
हरियाणा	25,916	1,582.88	18,499	1,217.65	22,285	2,707.15	22,000	3,465.38
हिमाचल प्रदेश	7,538	436.78	8,572	487.35	10,075	791.91	10,861	905.20
जम्मू और कश्मीर	12,887	416.03	21,371	714.46	38,352	1,295.17	38,994	1,346.55
झारखंड	15,340	1,116.03	14,996	859.78	12,953	1,247.08	14,908	1,714.67
कर्नाटक	68,572	4,068.61	50,974	3,225.47	41,028	4,307.51	37,195	5,320.64
केरल	33,739	1,248.12	28,810	1,005.27	18,937	1,104.28	18,187	1,401.33
लद्दाख	26	2.46	110	12.37	205	22.85	364	34.59
लक्षद्वीप	52	0.91	72	2.05	11	0.69	16	2.05
मध्य प्रदेश	40,822	2,098.28	60,835	1,893.09	64,108	2,650.99	36,234	3,582.30
महाराष्ट्र	83,709	5,807.82	71,850	4,415.75	56,027	6,839.63	45,269	8,034.05
मणिपुर	939	42.25	830	41.16	1,294	101.10	1,739	138.21
मेघालय	1,153	70.46	1,063	60.31	886	92.75	1,035	114.25
मिजोरम	473	29.06	431	30.09	1,029	86.33	628	51.63
नागालैंड	917	60.95	1,120	68.40	1,692	139.48	1,491	126.98
ओडिशा	26,167	1,347.05	28,288	1,133.71	25,788	1,801.05	24,229	2,089.93
पुदुचेरी	1,578	80.41	1,588	66.60	1,013	74.30	882	79.08
पंजाब	24,542	1,022.21	20,379	865.25	23,172	1,660.53	33,202	2,847.20
राजस्थान	41,289	1,997.79	32,883	1,440.58	38,622	2,552.89	50,055	3,698.10
सिक्किम	435	22.92	340	15.50	479	34.00	515	40.80
तमिलनाडु	89,725	4,352.82	61,535	3,343.95	44,897	4,133.60	43,312	4,803.78
तेलंगाना	39,162	2,211.72	22,021	1,407.78	24,009	1,958.98	22,315	2,456.43
त्रिपुरा	1,378	53.67	1,673	57.90	2,020	115.09	2,439	137.73
उत्तर प्रदेश	89,271	4,154.02	78,655	3,726.70	86,616	5,628.12	91,908	7,381.40
उत्तराखंड	11,158	482.19	9,671	440.95	10,048	629.28	10,624	773.36
पश्चिम बंगाल	37,667	2,398.35	29,789	1,617.68	37,033	2,887.09	36,872	4,141.08
कुल	**8,46,650**	**45,851.22**	**8,35,592**	**36,899.39**	**7,17,020**	**56,171.87**	**8,43,601**	**71,843.26**
स्रोत: सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)								